(अनवान भीम सैन बनाम दयाराम
राजस्व वाद संख्या :– 160/2025)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 160/2025

भीमसैन पुत्र श्री श्यामलाल जाति सुनार उम्र 57 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ..... वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र श्री तारूराम जाति जाट उम्र 84 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 7 ए 14, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर (राज0)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री ऋषिपाल जोशी	– – वादी
2.	श्री विजय कुमार भाटी	– –प्रतिवादी संख्या 1
3.	पैरोकार राज श्रीगंगानगर	– – प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.09.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 30/53 के मुरब्बा नम्बर 23 व 24 की कुल 9.487 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी भीमसैन पुत्र श्यामलाल के नाम से 1054/9487 हिस्सा यानि 1.054 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 2 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 30/53 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है। इसी चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 17/18 के मुरब्बा नम्बर 24, 34, 36 की कुल 6.906 है. नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम पुत्र तारूराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 2 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 17/18 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है। चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 30/53 के मुरब्बा नम्बर 23 व 24 की कुल 9.487 है. नहरी कृषि भूमि में से भीमसैन पुत्र श्यामलाल के नाम दर्ज 1054/9487 हिस्सा यानि 1.054 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक ... है व कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 17/18 के मुरब्बा नम्बर 24, 34, 36 की कुल 6.906 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(प्रमाणित) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(अनवान भीम सैन बनाम दयाराम
राजस्व वाद संख्यां :– 160/2025)

मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5/3 की 0.202 है. नहरी कृषि भूमि के साथ रकबा का एकीकरण करने एवं आवाजाही एवं काश्त की सहूलियत तथा सिंचाई पानी की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए तबादला कर लिया तथा तबादला करके विगत 5 वर्षो से अधिक समय से कब्जा का लेन देन किया हुआ है । यहां यह उल्लेख करने योग्य है कि वादी द्वारा, प्रतिवादी संख्या 1 को अपने कब्जा काश्त के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 22/2 की 0.126 है. कृषि भूमि दी गई उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि से चिपती हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5/3 की 0.126 है. कृषि भूमि वादी को दी गई उक्त कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त की भूमि से चिपती हुई है तथा उक्त तबादला होने से दोनो पक्षो का रकबा एकीकरण हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने पारस्परिक सहमति से किए गए तबादला को ग्राम दौलतपुरा में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में दिनांक 06/10/2021 को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए तबादला स्वीकृत करवा लिया गया तथा श्रीमान उप तहसीलदार, मिर्जेवाला द्वारा आदेश क्रमांक 27 दिनांक 06/10/2021 जारी किया गया लेकिन आज तक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ । आदेश क्रमांक 27 दिनांक 06/10/2021 की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारस्परिक सहमति से किए तबादला अनुसार उक्त कृषि भूमि के काबिज काश्त है तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतू आदेश भी स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में तबादला अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान को काफी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी उक्त कृषि भूमि का उपभोग नहीं कर सकता है, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड आदि की सुविधाओ से एवं उक्त कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाने से भी वंचित हो रहा है, ऐसी सूरत में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारस्परिक सहमति से किए गए उक्त कृषि भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। वादी ने पारस्परिक सहमति से हुए मौखिक विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतू प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उक्त रकबा एक दुसरे के नाम दर्ज करने हेतू आवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने श्रीमान जी न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गई जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध होने एवं चलने फिरने में असमर्थ होने की बहानेबाजी करते हुए आजकल आजकल करते हुए समय व्यतीत कर टाल मटोल करता रहा अन्ततः दिनांक 24/08/2025 को कहा तो प्रतिवादी ने साफ इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय मुखास्मत है। वादी के नाम दर्ज चक 2 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 30/53 की कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है लेकिन संयुक्त खाता के अन्य सह हिस्सेदारान से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए उन्हे पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि एचडीएफसी बैंक के पक्ष में रहन है लेकिन बैंक से लिए गए ऋण की बाबत पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है तथा वाद मे मांगा गया अनुतोष स्वीकृत करने से बैंक ऋण वसूली पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा इसलिए बैंक को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 2 क्यू उप तहसील मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क). कि चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी स[illegible] संयुक्त खाता संख्या 30/53 के मुरब्बा नम्बर 23 व 24 की कुल 9.487 है. नह[illegible] में से वादी भीमसैन पुत्र श्यामलाल के नाम दर्ज 1054/9487 हिस्सा [illegible] 0.126 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम [illegible] गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अनवान भीम सैन बनाम दयाराम
राजस्व वाद संख्या :– 160/2025)

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 17/18 के मुरब्बा नम्बर 24, 34, 36 की कुल 6.906 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5/3 की 0.202 है. नहरी कृषि भूमि वादी भीमसैन पुत्र श्री श्यामलाल जाति सुनार निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

(ग) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(घ) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(ड़) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी राजस्व वाद पत्र में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा एवं बिना किसी जबर दवाब के राजीनामा स्वीकार कर लिया है पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है । पक्षकारान ने आपसी सहमति से चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 30/53 के मुरब्बा नम्बर 23 व 24 की कुल 9.487 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी भीमसैन पुत्र श्यामलाल के नाम दर्ज 1054/9487 हिस्सा यानि 1.054 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.126 है. कृषि भूमि का द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 17/18 के मुरब्बा नम्बर 24, 34, 36 की कुल 6.906 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5/3 की 0.202 है. नहरी कृषि भूमि के साथ रकबा का एकीकरण करने एवं आवाजाही एवं काश्त की सहूलियत तथा सिंचाई पानी की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए तबादला कर लिया तथा तबादला करके विगत 5 वर्षो से अधिक समय से कब्जा का लेन देन किया हुआ है उक्त तबादलाना अनुसार उक्त राजस्व वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी करवाने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में पक्षकारान सहमत है। **अतः** राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मिसल आज की पेशी में ली जाकर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया जावे एवं उक्तानुसार राजस्व वाद स्वीकार कर चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 30/53 के मुरब्बा नम्बर 23 व 24 की कुल 9.487 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी भीमसैन पुत्र श्यामलाल के नाम दर्ज 1054/9487 हिस्सा यानि 1.054 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.126 है. कृषि भूमि का द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 17/18 के मुरब्बा नम्बर 24, 34, 36 की कुल 6.906 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5/3 की 0.202 है. नहरी कृषि भूमि घोषित कर डिक्री जारी [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा [illegible] जवाब पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अनवान भीम सैन बनाम दयाराम
राजस्व वाद संख्या :– 160/2025)

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी वाद प्रतिवाद नहीं होने से प्रकरण में विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में भीम सैन पुत्र श्री श्याम लाल जाति सुनार उम्र 57 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें जमाबंदी चक 2 क्यू के खाता संख्या 30/53 प्रदर्श –1, जमाबंदी चक 2 क्यू के खाता संख्या 17/18 प्रदर्श –2, कार्यालय उप तहसीलदार मिर्जेवाला का आदेश कमांक 27 दिनांक 06.10.2021 प्रदर्श–3 प्रदर्शित करवाये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस में कथन किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए मौखिक विभाजन एवं समेकित विनिमय के आधार पर वाद आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 2 क्यू के खाता संख्या 30/53 प्रदर्श –1, जमाबंदी चक 2 क्यू के खाता संख्या 17/18 प्रदर्श –2, कार्यालय उप तहसीलदार मिर्जेवाला का आदेश कमांक 27 दिनांक 06.10.2021 प्रदर्श–3 की प्रतियां पेश की गई। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि के समेकन हेतु आपसी विनिमय की सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत विनिमय हेतु वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के खातेदार अभिधारी अपनी जोत को समेकित करने हेतु अन्य खातेदार अभिधारी के साथ विनिमय कर सकता है। बशर्त विनिमय में भूमि समान मूल्य व गुणवत्ता की हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी ;बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विवेचन अक्षरतः चस्पा होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक आपसी सहमति के स्वीकार किया जाकर चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 30/53 के मुरब्बा नम्बर 23 व 24 की कुल 9.487 है. नहरी कृषि भूमि में से वादी भीमसैन पुत्र श्यामलाल के नाम दर्ज 1054/9487 हिस्सा यानि 1.054 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 0.126 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है एवम् प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम पुत्र तारूराम के नाम दर्ज चक 2 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 17/18 के मुरब्बा नम्बर 24, 34, 36 की कुल 6.906 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 5/3 की 0.202 है. नहरी कृषि भूमि वादी भीमसैन पुत्र श्री श्यामलाल जाति सुनार निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अनवान भीम सैन बनाम दयाराम
राजस्व वाद संख्या :— 160/2025)

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विनियम में हो रही समान भूमि मात्रा को छोड कर अतिरिक्त भूमि के अन्तर की भूमि की स्टाम्प शुल्क की गणना की जाकर स्टाम्प राशि भरवाये जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमलदरामद करे एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर राष्ट्रीय लोक आदालत दिनांक 13.09.2025 को में सुनाया गया।

(नयन गौतम आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner